न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या —981/2024
अनवान : —

1. धर्मपाल पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सुल्तान पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. दयाराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. अगड़ीराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. सुरजाराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

— वादीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. लिलूराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
6. धनवरी पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
7. हरदत पुत्र भादर राम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 188 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 29/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के [illegible] 262/214, 263/214, 258/214, 260/214, 261/214 की भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:31 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता सं. 3/3 के ख.न 232/2 की 1.5050 हैक्टर भूमि खा.न. 251/1 की 0.3790 हैक्टर भूमि ख.न. 259/214 की 1.7380 हैक्टर भूमि ख.न. 263/214 की 1.0120 हैक्टर भूमि कुल 4 खसरेजात की 4.6340 हैक्टर भूमि

उपखण्ड अधिकारी नोहर

स्थित है जिसके वादी सं. 4 खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के ख.न. 257/214 की 4.3870 हैक्टर भूमि ख.न. 262/214 की 1.0120 हैक्टर भूमि कुल 2 खसरेजात की 5.3990 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके वादी सं. 5 व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा ललानायास जैतासरी तहसील नोहर के खाता सं. 145/142 के ख.न. 258/214 की 2.3210 हैक्टर भूमि ख.न. 262/242 की 0.0500 हैक्टर ख.न. 264/214 की 0.3790 हेक्टर भूमि कुल 2.7500 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी सं. 2 अकेला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता सं. 77/79 के ख.न. 261/214 की 1.1630 हैक्टर भूमि ख.न. 264/242 की 0.3540 हैक्टर भूमि कुल 1.5170 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी सं. 3 एंव प्रतिवादीगण सं. 6 ता 7 ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता सं. 85/86 की कुल 1.9220 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी सं. 1 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता सं. 3/3 की कुल 4 खसरेजात की 4.6340 हैक्टर भूमि स्थित है सिका वादी सं. 4 अकेला खातेदार काश्तकार है एंव रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 की कुल 2 खसरेजात की 5.3990 हैक्ट भूमि जिसमें वादी सं. 5 व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. के प्रत्येक का 1/3 हिस्सा खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता सं. 145/142 की 2.7500 हैक्ट भूमि स्थित है।

जिसके वादी सं. 2. अकेला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता सं. 77/79 की कुल 1.5170 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी सं. 3 एंव प्रतिवादी सं. 6 व 7 प्रत्येक का 1/3.1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं उपरोक्त अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी एंव प्रतिवादीगण के हिस्से जमाबन्दी में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने वाद भूमि का बंटवारा कर दिया तथा मुताबिक बंटवारा के अनुसार ही वाद भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन के अनुसार वाद भूमि अलग–अलग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन हो गया है तथा मुताबिक खाता विभाजन के अनुसार वाद भूमि की चुर्तसीमाए बनी हुए तथा मुताबिक काश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि की चारो तरफ बाड़ एंव कटीले तार से सींव एंव डोल बना रखी है। प्रतिवादीगण का वादीगण के ख.न. 262/214 ख.न. 263/214 ख.न. 258/214, ख.न. 260/214 एवं ख.न. 261/214 के चिपता हुआ खेत भी है तथा इन खसरो के चिपता हुआ [illegible] वादीगण के ख.न. 262/214 ख.न. 263/214, ख.न. 258/214, [illegible] की चर्तुसीमाए बनी है तथा जिसमें वर्तमान में वादीगण [illegible] है तथा मकानात आदि बने हुऐ है प्रतिवादीगण नींव सींव तोड़कर फसल नष्ट करने पर उतारू है इस हेतु प्रतिवादीगण ने अपने ट्रेक्टर से वादीगण के खेत की पूर्वी सींव की तारबन्दी उखाड़ दी तथा खेत के आसा पासा कुछ दूरी में करावा लगा दिया। वादीगण को प्रतिवादीगण के उपरोक्त कृत्य से अपूर्णीय क्षति होगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा ना पुरा होने वाला नुक्शन होगा इसलिए वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के मजाज है कि प्रतिवादीगण वादीगण के खेत की पूर्व सींव–नीव तोडने से निषिद्ध रहे तथा वादीगण उपरोक्त अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

अधिवक्ता वादी के निवेदन पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि में से वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है एवं वादी की भूमि की सीव व डोल का मिस्मार करना चाहते है तथा सीवं व डोल का तोड़कर नया रास्ता कायम करना चाहते है अत अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे एवं वादी का वाद डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व किार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण एकस दुसरे के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है एवं सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है लेकिन वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा किया गया हो या सीवं व डोल को मिस्मार किया गया हो वादीगण द्वारा केवल कथन किया गया है एवं कथनों के आधार पर वादीगण अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:31 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –981 / 2024
अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सुल्तान पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. दयाराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. अगड़ीराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. सुरजाराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. लिलूराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
6. धनवरी पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
7. हरदत पुत्र भादर राम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 981 सन 2024 निर्णय दिनांक 29/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:31 IST
Reason: SelfAttested